

order Sheet [Contd]

प्र०क० 172/12विद्युत

te of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessa
28-1-17	<p>परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री.....सहित उनके अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव.....उप० ।</p> <p>आरोपी/गण सहित/द्वारा अधि० श्री.....के०पी०राठोर.....उप०/आरोपी अनुपस्थिति ।</p> <p>प्रकरण स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत में पेश हुआ है ।</p> <p>यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है ।</p> <p>उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढ़ाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे ।</p> <p>सुनाया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है । उक्त आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो ।</p> <p>प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है ।</p> <p>परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे ।</p> <p style="text-align: center;">एस०डी० डी०सी०थपलियाल पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र०-19 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड</p>	

	<p>पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र०-1 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड</p>	
--	--	--